(ग) 6 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी जनगणना के कार्य को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और कार्य के तुरन्त पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया के कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इनमें से उनकी संख्या कितनी है, जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे है लेकिन उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) (I) रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया के कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या 552 है ।

(इसमें 64 वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो दूसरी सेवाओं और संवर्गों से लिए गए हैं, इसमें प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी भी शामिल है)

(II) इनमें उन कर्मचारियों की संख्या जो पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं परन्तु अभी तक स्थायी नहीं किए गए हैं 311 हैं ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में पार्श्विक (लेट्रल) सड़क परियोजना

422. श्री हुकम देव नारायण यादव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुरक्षा की दृष्टि से और परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए सीमावर्त्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने का हैं ;

(ख) क्या कई वर्षों से पार्श्विक (लेट्रल) सड़क परियोजना लंबित हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को लागू करने का हैं ; और

(ग) क्या पार्श्विक सड़क परियोजना के अन्तर्गत बिहार के मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा के 85 किलोमीटर क्षेत्र में एक सड़क बनाई जानी थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ख). संविधान के अन्तर्गत, भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है । राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं । परन्तु केन्द्रीय सरकार सुरक्षा तथा अन्य ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनी हुई राज्य सड़कों के लिए तब वित्तीय सहायता भी देती है जब और जैसे संबंधित सुरक्षा प्राधिकरण किसी विशेष मांग का प्रस्ताव करता हैं ।

पार्श्ववर्त्ती सड़क का निर्माण भी केन्द्रीय खर्च पर ही हुआ है । यह उत्तर प्रदेश में बरेली से शुरू होती है और बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए असम में अमीनगांव तक जाती है । सम्पूर्ण स्वीकृत पार्श्ववर्त्ती सड़क परियोजना प्रायः पूरी हो चुकी हैं, केवल असम में कुछ छोटे छोटे पुलों और उनके पहुंचमार्गों को छोड़ कर, जिनके लिए राज्य सरकार से इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए आग्रह किया गया है ।

वास्तव में उस खंण्ड में भी सड़क, अस्थायी सड़कों के जरिए यातायात के लिए खुली हैं ।

(ग) संभवतया सदस्य महोदय का आशय दरभंगा-फारबीसगंज योजना सड़क के निर्माण से है । यह एक राज्य सड़क है और यदि आवश्यक समझा गया तो इस सड़क का निर्माण राज्य सरकार को ही करना होगा ।

केन्द्रीय सरकार का न तो इस सड़क को बनाने का विचार है और न ही इसके न बनने से कोई यातायात रूक रहा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 और 31 के भागों से गुजर रहा है ।

सरकार द्वारा आगरा के जूता उद्योग को संरक्षण

423. **श्री रामलोखन सुमन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगरा में जूता उद्योग को अधिकतम संरक्षण देने का है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकों से कम ब्याज पर ऋण दिलवाने की व्यवस्था करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (कुमारी आभा मयती) : (क) आगरा में चमड़े का जूता उद्योग लघु तथा कुटीर क्षेत्र में हैं । सरकार की विद्यमान नीति के अन्तर्गत इस उद्योग का विकास लघु क्षेत्र के लिए ही आरक्षित है । तो भी संगठित क्षेत्र में विद्यमान एककों का विस्तार करने तथा नए एकक स्थापित करने के आवेदन पत्रों पर केवल निर्यात बढ़ाने हेतु इस आधार पर विचार किया जाता है कि वे शत प्रतिशत माल का निर्यात करेंगे और रद्द किया हुआ 5% से अधिक नहीं होगा । उन एककों को जिनमें 49 से अधिक कामगर नहीं हैं तथा जो 2 अश्व शक्ति से अधिक बिजली का प्रयोग करते, उत्पादन शुल्क का भुगतान करने से छूट भी दी गई है ।

(ख) आगरा स्थित चमड़े के जूते बनाने वाले उद्योग को भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से वह सभी वित्तीय सहायता मिलती है जो सामान्य रूप से लघु उद्योगों को उपलब्ध है । समाज के कमजोर वर्गों के कामगरों को भी उपर्युक्त बैंकों से ब्याज की भिन्न दरों पर (4% वार्षिक) वित्तीय सहायता मिलती है ।

Cases Withdrawn From Shah Commission

424. SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether in a number of cases or applications, allegations have been withdrawn from the Shah Commission and handed over to CBI for investigations ; and

(b) if so, the number and details of cases, applications or allegations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS : (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) No cases or applications/allegations have been Withdrawn from the Shah Commission and handed over to the CBI.

(b) Does not arise.

Import of Transformers by States

425. DR. BAPU KALDATY : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) Whether a number of States have sought permission to import transformers to augment their power supply :

(b) if so, their names and their requirements ; and

(c) the names of the States whose requests have been accepted by Government ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Presently no proposal of any State Electricity Board/Project for import of transformers is pending with the Government.

(b) and (c) question does not arise

Murder of Women by In-laws for Dowry

426. SHRI ANANT DAVE : SHRI SHANKER SINHJI VAGHELA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS bepleased to state :

(a) whether the number of incidents of murder of young women by their in-laws for not bringing sufficient dowry has been increasing ;